

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक एफ 21 (7) 2022-23/विकास/प्रमुखस/ 8890

दिनांक: 04/10/2023

**कार्यालय आदेश**

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 553-23 दिनांक 01.05.2023 द्वारा बोटैनिकल गार्डन स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट आवंटन किया गया है। जिसमें निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

(राशि रु. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट	संशोधित बजट आवंटन
4406-02-112-02-01-17-वृहद् निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	42.50	57.50
	भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	25.00	40.00
	बीकानेर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर	35.00	110.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जोधपुर	45.00	82.50
	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	42.50	102.50
	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	52.50	77.50
योग:-			242.50	470.00

1. उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 553-23 दिनांक 01.05.2023 से जारी दिशा - निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. उक्त आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग 31 अक्टूबर, 2023 तक सुनिश्चित किया जावे।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें।

६०  
(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7) 2022-23/विकास/प्रमुखस/ 8891-8907

दिनांक: 04/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)

राजस्थान, जयपुर